सं-ई-11011/27/2019/हिंदी (रा.भा.का.स.)/ 10

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

906(द.), सेवा भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 66

दिनांक: 10 जनवरी, 2020

विषय: अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को आयोजित 138वीं बैठक का कार्यवृत्त और इसमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में।
(Minutes of the 138th Meeting of Official Language Implementation Committee of Central Water Commission (Headquarters) held on 13 December, 2019 and time-bound action on decisions taken therein-reg.)

महोदय/महोदया,

अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आयोजित केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 138वीं बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को अवगत करवाया जाए।

संलग्नक : यथोक्त

Software Management Dte. / C.W.C. Dy. No. 201 Dt. 15/1/20

आरिफ़ 15/1/20 JE(K)

भवदीया,
10/1/2020

(रजिन्दर पाल)
उप निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष सं: 29583720

1. समिति के सभी सदस्य (सूची के अनुसार)।
2. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग।
3. सभी समन्वय निदेशालय/ अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग।

केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 13.12.2019 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आयोजित 138 वीं बैठक का कार्यवृत्त:

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2019 को पूर्वाह्न 10.00 बजे केंद्रीय जल आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 138 वीं बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि हमें अपने सरकारी काम-काज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पत्राचार एवं टिप्पण में भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जाए। तत्पश्चात्, संयुक्त सचिव महोदय ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि कार्यान्वयन समिति का उद्देश्य होता है कि इस तिमाही में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा की जाए। उन्होंने आगे कहा कि इस बैठक में 30 जून, 2019 और 30 सितम्बर, 2019 की तिमाही रिपोर्ट की तुलनात्मक समीक्षा की जाएगी। तत्पश्चात बैठक को शुरू करने के लिए उप निदेशक (रा.भा.) महोदया को बैठक की मदवार कार्रवाई शुरू करने को कहा।

सदस्य सचिव ने समिति के सदस्यों को बताया कि दिनांक 23.09.2019 को आयोजित पिछली बैठक का कार्यवृत्त परिचालित कर दिया गया था। इस संबंध में इस पर कहीं से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अत: कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है। समिति के सदस्यों की सहमति से कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली गई। इसके बाद, सदस्य सचिव ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से सभी को अवगत करवाया और मद-वार चर्चा शुरू की।

समिति के उपस्थित सदस्यों की सूची अनुबंध 'क' पर संलग्न है।

उक्त बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात लिए गए निर्णय निम्नानुसार है:-

1. उप निदेशक (रा.भा.), सदस्य सचिव ने पिछली बैठक में हिंदी पोर्टल बनाने के संबंध में सूचित किया कि एसएमडी निदेशालय को दिनांक 6.11.19 को पत्र भेजा गया और एसएमडी निदेशालय से वार्ता करने पर

बताया गया है कि हिंदी पोर्टल तैयार हो चुका है और परीक्षण एवं मूल्यांकन स्तर पर है। हिंदी अनुभाग के अधिकारी से चर्चा कर पोर्टल को अंतिम रूप दिया जाएगा।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय/हिंदी अनुभाग)

2. संयुक्त सचिव महोदय ने बताया कि पिछले कुछ समय से केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) द्वारा हिंदी में किए गए काम की प्रतिशतता लगभग समान चल रही है जबकि आयोग में हिंदी में किए जाने वाले काम में बढ़ोतरी हो रही है। उप निदेशक (रा.भा.) ने बताया कि हाल ही में हिंदी अनुभाग की राजभाषा टीम द्वारा कें.ज.आ. के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण करने के दौरान यह पाया गया कि अनुभागों में हिंदी में काम तो होता है परंतु उसे तिमाही रिपोर्ट में ठीक से दर्शाया नहीं जाता। उन्होंने बताया कि के.ज.आ. नियम 10(4) के तहत अधिसूचित है। अत: सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में काम किया जाना अपेक्षित है। संयुक्त सचिव महोदय ने कहा कि सभी अनुभागों को दिशा-निदेश जारी किया जाए कि तिमाही रिपोर्ट भेजते समय सभी रिकार्ड देखकर ही इसे भेजा जाए। साथ ही यह भी कहा कि इस दिशा में सभी मिलकर प्रयास करें ताकि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को हिंदी में काम करने/लिखने में समस्या आ रही है तो उन्हें हिंदी शिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण दिलाया जाए।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग/सभी अनुभाग)

3. के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों के 8 कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के रिक्त पदों को समाप्त किए जाने और उन पदों को भरने संबंधी की गई कार्रवाई पर संयुक्त सचिव ने बताया कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दिनांक 27.11.2019 को पुन: भिजवा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय ने इस मामले पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग/स्थापना-7 अनुभाग)

4. क्षेत्रीय कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए उप निदेशक (रा.भा.) ने बताया कि बार-बार पत्र लिखने एवं बताने के बावजूद

भी पटना एवं लखनऊ कार्यालयों द्वारा लगातार धारा 3(3) का उल्लंघन किया जा रहा है जो अत्यंत गंभीर विषय है। अध्यक्ष महोदय ने इन कार्यालयों का निरीक्षण कर रिपोर्ट उन्हें भिजवाने का निदेश दिया।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग)

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही बैठक सम्पन्न हुई।